न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 60/2024 G.C.M.S. No. 2024/247 दर्ज दिनांक : 24.07.2024

अपीलार्थिगण:

1. बाबूसिंह पुत्र मगाजी
2. जुजारसिंह पुत्र मगाजी
3. नारायणसिंह पुत्र मगाजी
4. मोहनसिंह पुत्र मगाजी
5. चनणी पत्नी मगाजी जातियान राजपुरोहित, निवासीगण–नाराली, तहसील–चितलवाना, जिला सांचौर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नैनसिंह पुत्र धीरा कौम राजपुरोहित, निवासी– नाराली, तहसील–चितलवाना, जिला सांचौर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी स्टेट) चितलवाना।
3. हुकमसिंह पुत्र धीरा
4. शंकरसिंह पुत्र धीरा
5. चैन सिंह पुत्र धीरा जातियान राजपुरोहित, निवासीगण नाराली, तहसील–चितलवाना, जिला सांचौर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 06/2017 बअनवान नैन सिंह बनाम बाबु सिंह में पारित आदेश दिनांक 14.06.2019 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

पैरोकारः–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. श्री गोरधनराम बिश्नोई, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 06/2017 बअनवान नैन सिंह बनाम बाबु सिंह में पारित आदेश दिनांक 14.06.2019 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस संख्या 01 नैनसिंह ने विरूद्ध अपीलांट्स एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का अधीन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला सांचौर (राज.) में प्रस्तुत किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम नाराली, तहसील–चितलवाना में प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस व रेस्पोडेन्टस कमा 3 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 869 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बैरा खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 870 रकबा 3.71 हैक्टर जुमले रकबा 3.72 हैक्टर का स्थित है। उक्त खेत में प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट कमांक 01 की रहवासी ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूमि व ढाणी में आवागमन का अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1455/862 में से 120 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौडा मुसखरे नाप रकबा 0.02 हैक्टर मौजा नाराजी का रास्ता चलता है जो रास्ता प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस क्रमांक 01 के आवागमन का निकटतम रूट का रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेंट कमांक 01 के आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः अप्रार्थी/अपीलार्थीगण की उपरोक्त भूमि में से भूमि रकबा 0.02 हैक्टर रास्ता हेतु अनिवार्यत फरमाकर प्रार्थी/रेस्पोंडेट कमांक 01 को आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.03.2017 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट 1955 के अधीन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 19.04.2017 को अप्रार्थी/रेस्पोडेंट क्रमांक 3 ता 5 के एवं दिनांक 17.05.2017 को अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के समन बाद तामील प्राप्त होना निर्णय दिनांक 14.06.2019 में दर्शित किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायलय की आदेशिका दिनांक 09.10.2017 को अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त होना बताकर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा मातहत अदालत ने उसी दिन तहसीलदार, चितलवाना को वादग्रस्थ रास्ता की मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार चितलवाना ने दिनांक 16.09.2018 को यानि अधीनस्थ अदालत के आदेश के 11 माह बाद केवल प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 की उपस्थिति में अप्रार्थीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना इनकी पीठ पीछे एकपक्षीय मौका जांच कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.01.2019 को मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार चितलवाना ने प्रस्तुत की, उसमें जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के लिये खसरा नम्बर 1454/862 में से 120 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता देना उचित बताया गया। तत्पश्चात उक्त मौका जांच रिपोर्ट में कांटछांट कर खसरा नम्बर 1454/862 में से 120 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर उक्त भूमि अपीलार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1455/862 जंहा अपीलार्थीगण की रहवासी ढाणी है। रास्ते हेतु निर्वाचित करने के आदेश मातेहत अदालत ने पारित किये। प्रार्थी ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्ष ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थी पक्ष पर प्रकरण अनवान के प्रार्थना पत्र की नकले, जिसमें आवेदित रास्ता का नक्शा सहित नकलों की सम्मनों के साथ प्रेषण कर अपीलार्थीगण/अप्रार्थी पक्ष पर कानूनिया कोई तामिल नही करवाई। जबकि अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण पर आदेश 7 नियम 9 सीपीसी सपठित् नियम 67 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रार्थना पत्र मय आवेदित रास्ता के नक्शा की नकल सहित तामिल अप्रार्थी पक्ष की कानूनिया आज्ञापक थी जिसके अभाव में अपीलार्थीगण पर हस्तगत प्रकरण के सम्मन डयूली सर्वड की श्रेणी में आते है। प्रकरण अनवान में मातहत अदालत में वादग्रस्थ रास्ता की मौका जांच का आदेश प्रार्थी/अपीलार्थीगण दोनो पक्षों के रूबरू का आदेश नही देकर एकपक्षीय मौका जांच करवाने में विधि, वाक्याती व प्रक्रियात्मक भारी भूल की है तथा तहसीलदार, चितलवाना ने भी दोनो पक्षों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को नियमानुसार सूचित कर दोनो पक्षों के रूबरू मौका जांच नहीं की गई. एकपक्षीय मौका जांच रिपोर्ट कतई विश्वसनीय मौका जांच रिपोर्ट की श्रेणी में नही आती है। अपीलार्थीगण को तहसीलदार चितलवाना के अपीलाधीन निर्णय की पालना में निष्पादन कार्यवाही हेतु मौका पर आने व रास्ता स्वीकृत करने के पक्ष में एलानिया धमकी देने, प्रार्थी द्वारा नकले प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई। तब अपीलार्थीगण ने दिनांक 04.08.2021 को जानकारी होने के दो तीन दिन भीतर भीतर मातहत अदालत के समक्ष आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का आवेदन पत्र मातेहत अदालत में आदिनांक लम्बित है। इस कार्यवाही में लगा समय प्रकरण अनवान की अपील में एक्ज्यूटेड योग्य होने से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर मातेहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय अवैध होने से अपास्त फरमावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस संख्या 01 नैनसिंह ने विरूद्ध अपीलांट्स एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का अधीन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2019 को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 14.06.2019 को प्रस्तुत की। जो अपील के लिए विहित अवधि 60 दिवस के स्थान पर लगभग 5 वर्ष 1 माह अर्थात लगभग 1867 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए पृथक से धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि अपील मीमो में ही यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को तहसीलदार चितलवाना के अपीलाधीन निर्णय की पालना के निष्पादन कार्यवाही हेतु मौका पर आने व रास्ता स्वीकृत करने के पक्ष में एलानिया धमकी देने, प्रार्थी द्वारा नकले प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलार्थीगण ने दिनांक 04.08.2021 को जानकारी होने के दो तीन दिन भीतर भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 7 व 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में आदिनाक लम्बित है। इस कार्यवाही में लगा समय प्रकरण की अपील में माफी योग्य होने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.10.2017 को अपीलांट/अप्रार्थी के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने व अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अपीलांट द्वारा अपील ज्ञापन में अंकित कथनो से जाहिर होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.08.2021 को होना अपीलांट स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त दिनांक से भी जानकारी से लगभग 3 वर्ष के दीर्घकाल पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की बखुबी जानकारी थी तथा आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र जो कि जैरकार होना अपीलांट द्वारा जाहिर किया है के विचारण में व्यतीत समय मूल आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील के लिए विहित म्याद में हुए विलम्ब के माफी का आधार नहीं हो सकता। अपीलांट द्वारा विलम्ब के युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण प्रस्तुत नही किये है, साथ ही दिन प्रतिदिन के विलम्ब बाबत् कोई कारण दर्शित नहीं किए है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में जानबुझकर घोर लापरवाही व उदासीनता बरती गयी है। वस्तुतः विलम्बकाल अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुआ है।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

राजस्व अपील प्राधिकारी

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles'

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **1867 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **1867 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner